<u>न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–02, मथुरा।</u>
सिविल प्रकीर्ण वाद सं०–139/2022
अमित सिंह **प्रति** श्रीराम मंदिर आदि

<u>दिनांक 17–10–2024</u>

पेश। पत्रावली आज दिनांक वास्ते आदेश नियत है।

2– <u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 58 ग व आपत्ति 61 ग</u>

2.1– प्रार्थनापत्र 58 ग/1 व 2 प्रार्थी अमित सिंह द्वारा प्रपत्र संख्या 58 ग/3 को पत्रावली पर लिये जाने की याचना के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रपत्र श्रीराम मंदिर धर्मशाला से संबंधित दिनांक 12.12.2022 से दिनांक 31.03.2024 तक की आय–व्यय एवं बेलेंस सीट का सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रपत्र है, जिसे पत्रावली पर लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। उक्त मंदिर धर्मशाला से संबंधित आय–व्ययक आदि पूर्व में पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया जा चुका है।

2.2– उपरोक्त का विरोध अपनी आपत्ति 61 ग के माध्यम से करते हुये विपक्षी का कथन है कि प्रार्थनापत्र बदनीयती से, विपक्षी को तंग व परेशान करने की गरज से, मुकदमें को विलंबित करने के उद्देश्य से, असत्य आधारों पर प्रस्तुत किया गया है, जबकि इस स्तर पर न्यायालय को प्रकीर्ण वाद की पोषणीयता मात्र को देखा जाना है। तदनुसार प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना विपक्षी द्वारा की गयी है।

2.3– सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

2.4– पत्रावली धारा 92(1) सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दावा दायर करने की अनुमति विषयक सुनवाई में नियत है। श्रीराम मंदिर धर्मशाला से संबंधित आय–व्ययक के कतिपय प्रपत्र पूर्व में पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाना प्रार्थी का कथन है। आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

3– <u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 59 ग व आपत्ति 62 ग</u>

3.1– प्रार्थनापत्र 59 ग प्रार्थी अमित सिंह द्वारा आदेश दिनांकित 10.04.2024 को रिकॉल किये जाने की याचना के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश द्वारा न्यायालय ने प्रार्थी अमित सिंह को विस्तृत व लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने का समय न देते हुये, विपक्षी का संबंधित किराये की डूढ़ बही को पत्रावली पर लिये जाने संबंधी विपक्षी का प्रार्थनापत्र 53 ग एकपक्षीय रूप से स्वीकार कर लिया था, जिससे प्रार्थी को बेहद हकतलफी है। समर्थन मे शपथपत्र 60 ग प्रस्तुत किया गया है।

3.2– उपरोक्त का विरोध अपनी आपत्ति 62 ग के माध्यम से करते हुये विपक्षी का कथन है कि प्रार्थनापत्र सर्वथा गलत कथनों के आधार पर बदनीयती से मुकदमें को विलंबित किये जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रार्थनापत्र 53 ग पर पक्षकारों की सहमति से सुनवाई करने के उपरांत गुणदोष पर आदेश दिनांकित 10.04.2024 पारित किया था। यह कि उक्त आदेश स्थिर रहने से, प्रार्थी को कोई हकतलफी नहीं है। प्रार्थनापत्र रिकॉल किये जाने के कोई आधार नहीं हैं। तदनुसार प्रार्थनापत्र अस्वीकार किये जाने की याचना विपक्षी द्वारा की गयी है।

3.3– सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

3.4– पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि दिनांक 10.04.2024 को प्रतिपक्ष द्वारा वाद से संबंधित किराये की डूढ़ बही तथा धर्मशाला की संपत्ति में किरायेदारों द्वारा दाखिल धारा 30 रेंट के वादपत्र की प्रतियां पत्रावली पर लिये जाने की याचना के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वे प्रकीर्ण वाद के निस्तारण हेतु आवश्यक है। जिस पर घोर आपत्ति करते हुये प्रार्थी अमित सिंह ने लिखित व विस्तृत आपत्तियां दाखिल करने हेतु समय चाहा था, जिस पर सुनवाई उपरांत आदेश पारित करते हुये इस न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि *" विस्तृत आपत्तियां दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि प्रार्थनापत्र, धारा 92(1) सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दावा दायर करने की अनुमति विषयक सुनवाई में नियत है। न्यायाहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। संलग्न सूची से दाखिल अभिलेख पत्रावली पर लिये जाते हैं। सूचीबद्ध हों। प्रार्थी/आवेदक रिबटल में प्रपत्र दाखिल कर सकता है।"*

3.4.1– उक्त आदेश दिनांकित 10.04.2024 को प्रार्थी अमित सिंह द्वारा इस आधार पर एकपक्षीय कहा गया है कि उक्त आदेश की विषय–वस्तु प्रार्थनापत्र 53 ग के विरुद्ध उसे लिखित व विस्तृत आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। ध्यातव्य हो कि प्रार्थनापत्र 53 ग पर आदेश दिनांकित 10.04.2024 पारित करते समय प्रार्थी अमित सिंह को सुना गया होना दर्शित होता है। यद्यपि उक्त प्रार्थनापत्र 53 ग के विरुद्ध विस्तृत व लिखित आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय आक्षेपित आदेश द्वारा इस आधार पर नहीं दिया गया था कि प्रकीर्ण वाद धारा 92(1) सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दावा दायर करने की अनुमति विषयक सुनवाई में नियत है।

3.4.2– यह भी कि प्रार्थनापत्र 53 ग से प्रस्तुत प्रपत्रों की प्रतियां पत्रावली पर लेते हुये, प्रार्थी अमित सिंह रिव्यूटल दाखिल करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। ऐसे में प्रश्नगत आदेश एकपक्षीय होना दर्शित नहीं होता है।

3.4.3– जहां तक उक्त आदेश के स्थिर रहने से प्रार्थी अमित सिंह को सख्तहकतलफी होने संबंधी प्रार्थी के कथन का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि पत्रावली धारा 92(1) सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दावा दायर करने की अनुमति विषयक सुनवाई में नियत है। ऐसे में प्रार्थी को कोई हकतलफी होना दर्शित नहीं होता है।

5– उपरोक्त परिचर्चा के आलोक में प्रार्थनापत्र 59 ग स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होते हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 58 ग स्वीकार किया जाता है। प्रपत्र संख्या 59 ग/3 पत्रावलित हो। आपत्ति 61 ग तदनुसार निस्तारित की जाती है।

2– प्रार्थनापत्र 59 ग निरस्त किया जाता है। आपत्ति 62 ग तदनुसार निस्तारित की जाती है।

3– पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 28.11.2024 को पेश हो।

(राकेश सिंह)
अपर जनपद न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–02, मथुरा।
आई०डी०–यू०पी० 1614

Digitally signed by RAKESH SINGH
Date: 2024.10.19 16:40:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court